न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0
पत्रावली सं :: 25/2025/दावा

बंशीधर बनाम श्योपाल बलाई आदि

उपस्थितः–1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 1 की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा, वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव
धारा 11 व 151 सीपीसी।

निर्णय दिनांक :: 27.03.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी/ प्रतिवादी 1 ने जरिये मुख्तयार महेश कुमार ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा उनवानी वाद पत्र कृषि भूमि ख0नं0 2480/3423 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 2482/3424 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 2590 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 2596 रकबा 2.97 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.88 है0 वाके ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तह0 दांतारामगढ, सीकर के बाबत पेश किया था। वादी द्वारा उनवानी वाद पत्र इकरारनामा दिनांकित 11.06.2012 के द्वारा उपरोक्त भूमियां प्रति0सं0 2 ता 4 व 5 ता 8 की माता छोटी देवी से खरीद करना बताकर इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा बाबत वाद पेश किया है। प्रस्तुत वाद इकरारनामा दिनांकित 11.06.2012 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इकरारनामा के आधार पर पेश किये वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिस कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में भी वाद खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। वादी द्वारा आवेदन पत्र की मद सं0 1 में वर्णित भूमियों के संबंध में पूर्व में एक दावा सं0 126/2014 उनवानी बंशीधर बनाम मदनलाल आदि मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया था जो वादी द्वारा दिनांक 16.10.2014 को नोट प्रेस किया गया। वर्णित भूमियों के संबंध में इसी इकरारनामा दिनांकित 11.06.2022 को लेकर पहले भी एक दावा सं0 98/2015 उनवानी बंशीधर बनाम मीरा आदि पेश हुआ था। जिसमें प्रति0सं0 1 मीरादेवी द्वारा एक आवेदन अं0 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2016 को स्वीकार करके वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। इन्हीं भूमियों के संबंध में इन्हीं आधारों पर एक दावा सं0 29/2024 उनवानी बंशीधर बनाम श्योपाल आदि पेश किया था। जिसमें प्रति0सं0 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी पेश किया गया था। जिसे बाद सुनवाई स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाने का आदेश दिनांक 4.11.2024 को पारित किया गया था,

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

जो आदेश आज दिनांक तक वैध व प्रभावी है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक बार किन्हीं भूमियों के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया जाता है, तो उन्हीं भूमियों के संबंध में उन्हीं तथ्यों के आधार पर अन्य वाद चल नहीं सकता है, इसलिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त उनवानी वाद पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होने व विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। वादी द्वारा इन्हीं भूमियों के संबंध में पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा किये गये निर्णयों के तथ्यों को छुपाते हुए यह वाद पेश किया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार न्याय प्राप्ति के लिए स्वच्छ हाथों से आना चाहिए इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र क्लीन हैंड से नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पेश कर इसे स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इसी स्टेज पर नांमजूर (खारिज) करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी/वादी ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी का जवाब पेश न कर सीधी बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 1 ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को ही दोहराया एंव वकील वादी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को गलत होना बताया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जरिये मुख्तयार महेश कुमार ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी का सारभूत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद पत्र कृषि भूमि ख0नं0 2480/3423 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 2482/3424 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 2590 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 2596 रकबा 2.97 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.88 है0 वाके ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तह0 दांतारामगढ, सीकर के बाबत वादी द्वारा उनवानी वाद पत्र इकरारनामा दिनांकित 11.06.2012 के द्वारा उपरोक्त भूमियां प्रति0सं0 2 ता 4 व 5 ता 8 की माता छोटी देवी से खरीद करना बताकर इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा तथा रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधिनियम 1955 तथा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत वाद पेश किया है। प्रस्तुत वाद इकरारनामा के आधार पर पेश किये वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमियों के संबंध में पूर्व में एक दावा सं0 126/2014 उनवानी बंशीधर बनाम मदनलाल आदि न्यायालय के समक्ष पेश किया था जो वादी द्वारा दिनांक 16.10.2014 को नोट प्रेस किया गया। साथ ही इकरारनामा दिनांकित 11.06.2022 को लेकर पहले भी एक दावा सं0 98/2015 उनवानी बंशीधर बनाम मीरा आदि पेश होने पर प्रति0सं0 1 मीरादेवी द्वारा आवेदन अं0 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2016 को स्वीकार करके वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया था। इन्हीं भूमियों के संबंध में व इन्हीं आधारों पर वादी द्वारा पुनः

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

एक दावा सं0 29/2024 उनवानी बंशीधर बनाम श्योपाल आदि भी पेश होने पर इसमें प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 04.11.2024 को इसे स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया था। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान उक्त आदेशों को अन्य न्यायालय में चुनौति देना नहीं बताया है,जिससे स्पष्ट है कि आदेश आज दिनांक तक उपरोक्त आदेश वैध व प्रभावी है।

चूंकि प्रस्तुत वाद भी इकरारनामा दिनांकित 11.06.2012 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इकरारनामा के आधार पर पेश किये वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। साथ ही न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद सं0 98/2015 उनवानी बंशीधर बनाम मीरा आदि में प्रति0सं0 1 मीरादेवी द्वारा आवेदन अं0 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2016 को स्वीकार करके वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया था। साथ ही दावा सं0 29/2024 उनवानी बंशीधर बनाम श्योपाल आदि में भीं प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 04.11.2024 को इसे स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया था। जो आज दिनांक तक वैध व प्रभावी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक बार किन्हीं भूमियों के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया जाता है, तो उन्हीं भूमियों के संबंध में उन्हीं तथ्यों के आधार पर अन्य वाद चल नहीं सकता है, इसलिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त उनवानी वाद पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत व विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थी/प्रति0सं0 1 द्वारा जरिये मुख्तयार महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायहित में न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जरिये मुख्तयार महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 एंव धारा 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner